कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 (0135) -2713724 फोन न0(0135) – 2713551

संख्या 2095/xxv–12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्री सरदार सिंह तोमर,
पुत्र स्व0 सूरत सिंह
रावत वेडिग प्वाइंट के सामने,
मोथरोवाला रोड़,अजबपुर कलां,
जिला देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–676 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 25.10.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 27.10. 2023 को प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

बिन्दु सख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–02	07 पृष्ठ (वर्ष 2000 से 2022 तक)
बिन्दु–03	04 पृष्ठ (वर्ष 2004 से 2019 तक)

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

पृ0संख्या–2095 /xxv– 12(P-14) /2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बिन्दु 02 से 03 में उल्लिखित सूचना वर्ष 1970 से 2000 तक संबंधित सूचना नियमानुसार आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पत्रवाहक / पंजीकृत
प्राप्त 27/10/23

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254   टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257   E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 676 / सू0काअ0 / 3050 / 2021   दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सरदार सिंह तोमर, पुत्र स्व0 श्री सूरत सिंह, रावत वेडिंग प्वाइंट के सामने, मोथरोवाला रोड़, अजबपुर कलां, जिला देहरादून द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकित 25.10.2023 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 26.10.2023 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 100.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क के रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

संख्या– / सू0काअ0 / 3050 / 2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री सरदार सिंह तोमर, पुत्र स्व0 श्री सूरत सिंह, रावत वेडिंग प्वाइंट के सामने, मोथरोवाला रोड़, अजबपुर कलां, जिला देहरादून को सूचनार्थ।

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड,
कार्यालय– निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास,
रिंग रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड, 248001

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(1) के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. उत्तर प्रदेश राज्य/उत्तराखण्ड राज्य के जिला देहरादून की विधानसभा चकराता की वर्तमान ग्रामपंचायत सकरोल (तत्कालीन ग्रामसभा कामला) की वर्ष 1975 से वर्ष 1990 तक लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों हेतु जारी मतदाता सूचियों की सत्यापित छायाप्रतिलिपि।
2. उत्तर प्रदेश राज्य/उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 1970 से वर्तमान तक हुये विधानसभा चुनावों के तिथि/वर्षों की क्रमवार सूची की सत्यापित छायाप्रतिलिपि।
3. उत्तर प्रदेश राज्य/उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 1970 से वर्तमान तक हुये लोकसभा चुनावों के तिथि/वर्षों की क्रमवार सूची की सत्यापित छायाप्रतिलिपि।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क सहित रू0 100/– का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है।

श्री दिनेश
26·10·2023
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Received of Rs. 100/-
26/10/23

प्रार्थी

25/X/23

सरदार सिंह तोमर पुत्र स्व0 श्री सूरत सिंह,
निवासी रावत वेंडिग प्वाइंट के सामने,
मोथरावाला रोड़, अजबपुर कलां, जिला देहरादून,
उत्तराखण्ड, 248001

दिनांक– 25/10/2023
स्थान– देहरादून
पोस्टल ऑर्डर सं0–53H 313572

(1)

Lok Sabha General Elections – 2004
Summary of Schedules (UTTARANCHAL STATE SPECIFIC)

For all 5 Parliamentary Constituencies

SL NO	POLL EVENT	EVENT DATE
1	Announcement and Issue of Press Note	29-Feb-2004 (Sunday)
2	Issue of Notification	16-Apr-2004 (Friday)
3	Last date for filing Nominations	23-Apr-2004 (Friday)
4	Scrutiny of nominations	24-Apr-2004 (Saturday)
5	Last Date for Withdrawal of candidature	26-Apr-2004 (Monday)
6	Date of Poll	10-May-2004 (Monday)
7	Counting of Votes on	13-May-2004 (Thursday)
8	Date before which the Election shall be completed	25-May-2004 (Tuesday)

(2)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2014/चैत्र 22, 1936
No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2014/CHAITRA 22, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2014

आ.अ. 102(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. **अतः, अब,** उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा–

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से **नियत करता है,** –

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख – **19 अप्रैल, 2014 (शनिवार)**

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – **21 अप्रैल, 2014 (सोमवार)**

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख – **23 अप्रैल, 2014 (बुधवार)**

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंम्भ (1) में तदनुरुप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा; और, **28 मई, 2014 (बुधवार)**

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को **ऐसे समय के रूप में नियत करता है,** जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनुरुप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक **सभा सामान्य निर्वाचन, 2009 के लिए दिनांक 02 मार्च, 2009 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी** है। आयोग द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उत्तराखण्ड राज्य में पंचम चरण में मतदान सम्पादित किया जायेगा।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप राज्य में तत्काल प्रभाव से भारत निर्वाचन आयोग की **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)** प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता समस्त मा0 मंत्रीगणों एवं दर्जा प्राप्त समस्त राज्य मंत्रियों पर भी तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं समस्त मा0 मंत्रीगणों के निजि सचिवों आदि को अवगत कराया जा चुका है।

आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सभा निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नवत् है:–

1	अधिसूचना जारी होने की तिथि	–	**17 अप्रैल, 2009**
2	नाम निर्देशन की अंतिम तिथि	–	**24 अप्रैल, 2009**
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	–	**25 अप्रैल, 2009**
4	नाम वापसी की अंतिम तिथि	–	**27 अप्रैल, 2009**
5	मतदान की तिथि	–	**13 मई, 2009**
6	मतगणना की तिथि	–	**16 मई, 2009**
7	वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।	–	**28 मई, 2009**

दिनांक 02–03–2009

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(5)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2019/फाल्गुन 27, 1940
No. 36]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2019/PHALGUNA 27, 1940

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2019

का. आ. 48 (अ).—यत: भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना, जिसे भारत के राजपत्र में 18 मार्च, 2019 (सोमवार) को प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. **अत:, अब,** उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा –

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित निर्धारित करता है;

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख – **25 मार्च, 2019 (सोमवार)**

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – **26 मार्च, 2019 (मंगलवार)**

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख – **28 मार्च, 2019 (गुरूवार)**

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तद्नुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा – **27 मई, 2019 (सोमवार); और**

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तद्नुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

(1) (3)

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.464/UCL-LA/2002

Dated16th January,2002
26th Pausa,1923(Saka)

NOTIFICATION

WHEREAS, the Governor of the State of Uttaranchal has, by notification issued under the sub-section (2) of section 15of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the state on the 16th January,2002, been pleased to call upon all Assembly constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

Now, therefore, in pursuance of sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints,** with respect to the said election in each of the constituencies, -

(a) the 23.01.2002 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 24.01.2002 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 28.01.2002 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

क्रम संख्या–12

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 जनवरी, 2007 ई०
माघ 05, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांखण्ड शासन

प्रारूप अधिसूचना

यतः, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) के उपबन्धों तथा उसके अधीन गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 779(अ) के अनुसरण में उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखण्ड दिनांक 1 जनवरी, 2007 से परिवर्तित किया गया है; और

यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, 17 मार्च, 2007 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जायेगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल, राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से,

ह० अपठनीय/–

उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव।

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the name of the State of Uttaranchal has been altered as Uttarakhand with effect from 1st January, 2007, in pursuance of provisions of Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006) and Notification No. G.S.R. 779(E), dated the 29th December, 2006 issued thereunder by the Ministry of Home Affairs; and

(5)

क्रम संख्या–03

पजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 जनवरी, 2012 ई0

पौष 15, 1933 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001

सं0 464 / यू0के0डी0–वि0स0 / 2012

नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2012

अधिसूचना

सं0– 464 / यू.के.डी.–वि0स0 / 2012 :– उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (2) के अधीन 05 जनवरी, 2012 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धाराओं 30 से 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :–

(अ) प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :–

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	12 जनवरी, 2012(गुरुवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	13 जनवरी, 2012(शुक्रवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	16 जनवरी, 2012(सोमवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	30 जनवरी, 2012(सोमवार);

(6)

क्रम संख्या–06

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 20 जनवरी, 2017 ई0

पौष 30, 1938 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0–2/उत्तरा0–वि0स0/2017

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

अधिसूचना

सं0 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0-2/उत्तरा0-वि0स0/2017:- यतः उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार) को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	27 जनवरी, 2017 (शुक्रवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 जनवरी, 2017 (सोमवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	01 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	15 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(ड)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	15 मार्च, 2017 (बुधवार); और

(4) (7)

क्रम संख्या–09 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 21 जनवरी, 2022 ई0
माघ 01, 1943 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 464/उत्तरा0–वि0स0/2022
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2022

अधिसूचना

सं0: 464/उत्तरा0–वि0स0/2022:– यतः उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (2) के अधीन जारी तथा 21 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:–

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार);
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	29 जनवरी, 2022 (शनिवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	31 जनवरी, 2022 (सोमवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	14 फरवरी, 2022 (सोमवार);
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	12 मार्च, 2022 (शनिवार); और

08/

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – **2713551**

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या-2084/xxv— 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 28 अक्टूबर, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या—670 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के साथ संलग्न श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी—तहसील वार्ड न0पा0 डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 11.10.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 25.10.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि। **भवदीय,**

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़,
देहरादून—248001
मो0न0—9897995591

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0—9411740189

पृ0संख्या—2084 /xxv— 12(P-14) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि— श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी—तहसील वार्ड न0पा0 डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

पत्रवाहक / पंजीकृत
प्राप्त-
25/10/23

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 670 / सू0काअ0 / 3050 / 2021 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी– तहसील वार्ड न.पा. डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकित 11.10.2023 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 23.10.2023 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

संख्या– / सू0काअ0 / 3050 / 2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी– तहसील वार्ड न.पा. डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ को सूचनार्थ।

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

157
23/10/23

R-1111/23
F-3010/24

आवेदन पत्र U/S 6(1) R.T.I Act 2005

समक्ष– श्रीमान लोक सूचनाधिकारी महोदय राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून (UK)

आवेदक– गोपाल सिंह S/o बहादुर सिंह

नि0 तहसील रोड न.पा.प. डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़ (UK)

महोदय,

आवेदक को निम्न याचित सूचनायें निर्धारित प्रारूप में। समयान्तर्गत, सस्थापित प्रतियों सहित मह अपीलीय अधिकारी के पदनाम सहित स्पष्ट रूप से देने की कृपा करें।

बिन्दु सं01– महोदय उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत वर्ष 2022– 2023 में प्रत्येक जिलों में शासन के निर्देशानुसार नियुक्त Booth Leval Officer (B.L.O) एवं Booth Level Officer सुपरवाईजर की संख्या प्रत्येक जनपदवार सहित सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु सं02– महोदय, उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2022– 2023 में कार्यरत B.L.O एवं B.L.O सुपरवाईजर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित देय मानदेय की प्रत्येक जनपदवार सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु सं03– महोदय, उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उ0 राज्य अन्तर्गत कार्यरत B.L.O एवं B.L.O सुपरवाइजर को देय मानदेय की भुगतान धनराशि वावत शासना देशों की वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक की सत्यापित प्रतियों सहित स्पष्ट सूचना प्रत्येक जनपदवार देने की कृपा करें।

दिनांक–11/10/2023

संलग्न 10रू0 राजकीय पोस्टल आर्डर फीस

IPO NO 57F 030723

आधार कार्ड की छाया प्रति

ह0 आवेदक
गोपाल सिंह S/o बहादुर सिंह
नि0–तहसील वार्ड न.पा डीडीहाट
जिला–पिथौरागढ़ (UK)262551

श्री दिनेश

23.10.2023
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Received by WL
23/10/23

भारत सरकार

Government of India

गोपाल सिंह मुनोला

Gopal Singh Munola

जन्म तिथि / DOB : 12/12/1990

पुरुष / Male

2183 6057 7137

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मजः बहादुर सिंह मुनोला, अम्बेडकर वॉर्ड डीडीहाट, डीडीहत, पिथौरागढ़, डीडीहाढ, उत्तराखंड, 262551

Address:
S/O: Bahadur Singh Munola, ambedkar ward didihat, Didihat, Pithoragarh, Didihat, Uttarakhand, 262551

2183 6057 7137

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in